Regd. No. CHD/0093/2015-2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 29-2017/Ext. चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 16 फरवरी, 2017
(27 माघ, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 3/संवि०/अनु० 309/2017, दिनांक 16 फरवरी, 2017 – हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) (संशोधन) नियम, 2017 (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	341–344
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग —III

हरियाणा सरकार

कार्मिक विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 फरवरी, 2017

संख्या सा०का०नि० 3/संवि०/अनु० 309/2017.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"9. पंजिका क–1 के लिए उम्मीदवारों का चयन। .— (1) अपर मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन, सरकार द्वारा अवधारित की जाने वाली तिथि से, जिला राजस्व अधिकारियों/तहसीलदारों की एक सूची तैयार करेगा जो रिक्तियों की संख्या से पांच गुणा से अधिक नहीं होगी तथा उसे अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव तथा सदस्यों के रूप में दो ऐसे अन्य अधिकारियों की समिति के विचारण के लिए उसे प्रस्तुत करेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर नामांकित किए जाए। उस व्यक्ति का नाम प्रस्तुत किया जाएगा जिसने —

(क) (i) नायब तहसीलदार के रूप में दी गई सेवा को शामिल करते हुए लगातार सरकारी सेवा के आठ वर्ष पूरे कर लिए हों;

(ii) सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुतिकरण की तिथि से ठीक पहले नवम्बर के प्रथम दिन को पचास वर्ष की आयु पूरी न करता हो ;

(iii) अनुशासनिक कार्यवाही का सामना न कर रहा हो तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई करना अपेक्षित न है; तथा

(iv) सतर्कता के दृष्टिकोण से निर्दोष हो;

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हों

(2) उप–नियम (1) में वर्णित समिति ऐसे सभी नामों पर विचार करेगी तथा पंजिका क–I मे दर्ज करने के लिए रिक्तियों के दो गुणा के बराबर विचारे गए उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी। यह सूची योग्यता–क्रम में तथा रिक्तियों की संख्या के बराबर, सूची में इन्द्राज किए गए अति उपयुक्त व्यक्तियों से पंजिका क–I में दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों के रूप में चयन करने के लिए सिफारिश हेतु आयेाग को भेजी जाएगी, और इसके बाद, इस प्रकार चयनित व्यक्तियों के नाम पंजिका क–I में इन्द्राज किये जाएंगे।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"10. पंजिका क–II के लिए उम्मीदवारों का चयन। .— (1) नीचे तालिका के प्रथम खाना में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तिथि से, व्यक्तियों की ऐसी संख्या, जो उक्त तालिका के द्वितीय खाना में प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट हैं, व्यक्तियों में से जो उनके कार्यालय या उनके अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप ग सेवा के सदस्य हैं, से सम्बधित सिफारिशें इन नियमों से संलग्न प्ररूप 1 में सरकार को प्रस्तुत करेगा।

तालिका

सिफारिश करने वाला प्राधिकारी		सिफारिशों की संख्या
1		2
1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	:	3
2. अपर मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन, विभाग	:	2
3. शेष सभी विभागाध्यक्ष	:	1 (प्रत्येक) :

परन्तु विद्यमान नियमों के अधीन उपरोक्त प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा पहले से अग्रेषित कोई नामांकन विधिमान्य रूप से सिफारिश किया गया समझा जाएगा।

(2) व्यक्ति का नाम उप–नियम–(1) के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत किया जाएगा जिसने–

(क) (i) लगातार सरकारी सेवा के आठ वर्ष पूरे कर लिए हों;

(ii) सम्बद्व प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण की तिथि से ठीक पहले नवम्बर के प्रथम दिन को पचास वर्ष की आयु पूरी न करता हो ;

(iii) अनुशासनिक कार्यवाहियों का सामना न कर रहा हो तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी अपेक्षित न है; तथा

(iv) सतर्कता के दृष्टिकोण से निर्दोष है।

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो।

(3) इस प्रकार प्राप्त की गई सिफारिशें, अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव तथा सदस्य के रूप में ऐसे अन्य दो अधिकारी जो सरकार द्वारा समय-समय पर नामांकित किए जाएं, की समिति के सम्मुख प्रस्तुत की जाएंगी। यह समिति विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त सभी सिफारिशें की जांच करेगी तथा पंजिका क-II में दर्ज करने के लिए उपयुक्त समझे गए व्यक्तियों की रिक्तियों की संख्या के दुगुने के बराबर सूची तैयार करेगी। यह सूची योग्यता क्रम में तथा रिक्तियों की संख्या के बराबर, सूची में इन्द्राज किए गए अति उपयुक्त व्यक्तियों से पंजिका क-II में दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों के रूप में चयन करने के लिए सिफारिश करने के लिए आयोग को भेजी जाएगी, और उसके बाद इस प्रकार चयनित किए गए व्यक्तियों के नाम पंजिका क-II में दर्ज किए जाएंगे।"।

4. उक्त नियमो में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"14. पंजिका-ग के लिए उम्मीदवारों का चयन। .- (1) विकास तथा पंचायत विभाग में सरकार का सचिव, सरकार द्वारा अवधारित की जाने वाली तिथि से, जिला विकास तथा पंचायत अधिकारियों/खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारियों की एक सूची तैयार करेगा जो रिक्तियों की संख्या से पांच गुणा से अधिक नहीं होगी तथा उसे अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव और सदस्यों के रूप में दो अन्य अधिकारियों, जो समय-समय पर सरकार द्वारा नामांकित किए जाएं, की समिति को विचारण के लिए प्रस्तुत करेगा। उस व्यक्ति का नाम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसने -

(क) (i) लगातार सरकारी सेवा के आठ वर्ष पूरे कर लिए हों;

(ii) सम्बद्व प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुतिकरण की तिथि से ठीक पहले नवम्बर के प्रथम दिन को पचास वर्ष की आयु पूरी न करता हो;

(iii) अनुशासनिक कार्यवाहियों का सामना न कर रहा हो तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी अपेक्षित न हो; तथा

(iv) सतर्कता के दृष्टिकोण से निर्दोष हो;

(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो।

(2) उप-नियम (1) में वर्णित समिति सभी ऐसे नामों पर विचार करेगी और पंजीका-ग में दर्ज करने के लिए रिक्तियों के दो गुणा के बराबर विचारे गए उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी। यह सूची योग्यता क्रम में और रिक्तियों की संख्या बराबर सूची में दर्ज किए गए अति उपयुक्त व्यक्तियों से पंजिका-ग में दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों के रूप में चयन करने के लिए सिफारिश हेतु आयोग को भेजी जाएगी, और इसके बाद, इस प्रकार चयनित व्यक्तियों के नाम पंजिका-ग में इन्द्राज किए जाएंगे।"।

डी० एस० ढेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

PERSONNEL DEPARTMENT

Notification

The 16th February, 2017

No. G.S.R.3/Const./Art.309/2017.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Civil Service (Executive Branch) (Amendment) Rules, 2017.

2. In the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008 (hereinafter called the said rules), for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-

"9. Selection of Candidates for Register A-I .- (1) The Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government, Haryana, Revenue and Disaster Management shall, by a date to be determined by the Government, prepare a list of District Revenue Officers/Tehsildars not more than five times of the number of vacancies and submit the same for the consideration of a Committee with Chief Secretary as Chairman and two such other officers as members, as may be nominated by the Government from time to time, the name of a person shall be submitted who-

(a) (i) has completed eight years continuous Government Service including service rendered as Naib-Tehsildar;

(ii) has not attained the age of fifty years on the first day of November immediately preceding the date of submission of names by the concerned authority;

(iii) is not facing disciplinary proceedings and against whom action is not being contemplated; and

(iv) is clear from vigilance angle;

(b) is a Graduate from a recognized University.

(2) The Committee mentioned in sub-rule (1) shall consider all such names and prepare a list, equal to twice the number of vacancies of persons considered suitable for being entered in Register A-I. This list shall be sent to the Commission for recommending, in order of merit and equal to the number of vacancies, the most suitable persons entered in the list, for being selected as candidates for entry into Register A-I, and thereafter the names of the persons so selected shall be entered in the Register A-I.".

3. In the said rules, for rule 10 the following rule shall be substituted, namely :-

"**10.** Selection of Candidates for Register A-II. - (1) Each of the authorities specified in the first column of the table below may, by a date to be specified by the Government, submit to the Government in Form I attached to these rules the recommendations regarding such number of persons as is specified in each case in the second column of the said table from amongst persons who are members of Group C Services in his office or in the offices subordinate to him:-

TABLE

Recommending Authority	Number of Recommendations
1	2
1. Chief Secretary of Government, Haryana:	3
2. Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana, Revenue and Disaster Management Department	2
3. All the remaining Heads of Departments	1 (each):

Provided that any nomination already submitted by any of the aforesaid authorities with the existing rules shall be deemed to be recommendation validity made.

(2) The name of a person shall be submitted under the provisions of sub-rule (1) who-

(a) (i) has completed eight years continuous Government Service;

(ii) has not attained the age of fifty years on the first day of November immediately preceding the date of submission of names by the concerned authorities;

(iii) is not facing disciplinary proceedings and against whom action is not being contemplated; and

(iv) is clear from vigilance angle;

(b) is a Graduate from a recognized University.

(3) The recommendations so received shall be submitted before a Committee with Chief Secretary as Chairman and such other two officers as members as may be nominated by the Government from time to time. This Committee shall examine all the recommendations received from various authorities and shall prepare a list equal to twice the number of vacancies of persons considered suitable for being entered in Register A-II. This list shall be sent to the Commission for recommending, in order of merit and equal to the number of vacancies the most suitable persons entered in the list, for being selected as candidates for entry into Register A-II, and thereafter the names of the persons so selected shall be entered in the Register A- II.".

4. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

"14. Selection of Candidates for Register-C .- (1) The Secretary to Government in the Development and Panchayats Department shall, by a date to be determined by the Government, prepare a list of District Development and Panchayat Officers/Block Development and Panchayat Officers not more than five times of the number of vacancies and submit the same for the consideration of a Committee with Chief Secretary as Chairman and two such other officers as members, as may be nominated by the Government from time to time, the name of a person shall be submitted who:-

(a) (i) has completed eight years continuous Government Service;

(ii) has not attained the age of fifty years on the first day of November immediately preceding the date of submission of names by the concerned authority;

(iii) is not facing disciplinary proceedings and against whom action is not being contemplated; and

(iv) is clear from vigilance angle;

(b) is a Graduate from a recognized University.

(2) The Committee mentioned in sub-rule (1) shall consider all such names and prepare a list equal to twice the number of vacancies of persons considered suitable for being entered in Register-C. This list shall be sent to the Commission for recommending, in order of merit and equal to the number of vacancies, the most suitable persons entered in the list, for being selected as candidates for entry into Register-C, and thereafter the names of the persons so selected shall be entered in the Register C.".

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

55020—L.R.—H.G.P., Chd.